



1. पी.सी.सी. अधिनियम 58/1950 दिनांक 27-08-50
 के प्रावधानों के अन्तर्गत 'B' वर्ग में 'B' के रूप में
 'B' वर्ग में 'B' के रूप में 'B' वर्ग में 'B' के रूप में



• कक्षा के 'B' वर्गों की विन्यास (RADIOUS) 15'-0" के अनुसृत क्षेत्र में कक्षा की जायेगी
 • इन कक्षाओं पर 'A' वर्ग क्षेत्र में कक्षाएँ निर्मित हों
 • अन्य विन्यास / आकार / आकार नहीं किया जाये
 • प्लान नं. 12/1954 को कक्षा के अंतर्गत के अनुसृत
 विन्यास विन्यासीय आकार 'B' वर्ग के विन्यास
 'B' वर्गों को 'B' वर्ग विन्यास कर है।
 • PLOT NO 72 NOT APPROVED

KEY PLAN
 SCALE: 1" = 200'-0"

AREA ANALYSIS		
LAND USE	AREA IN ACRES	PERCENTAGE
RESIDENTIAL	4.88	56.37%
ROADS	3.31	38.26%
FACILITIES	0.46	5.37%
TOTAL LAND AREA	7.65 ACRES	100.00%

REVISED LAY-OUT PLAN OF SCHEME
 UDAI NAGAR "B" UNDER ARVIND
 NAGAR GRÁH NIRMÁN SAHAKARI
 SAMITI LTD. ON BYE PASS ROAD
 [GOPAL PURA SODALA AJMER
 ROAD] JAIPUR

DRAWN BY: H.C. GILL
 SCALE: 1" = 200'-0"

योजना की सीमा का राजस्व विस्तार के
 अनुसृत मोड़ पर समाप्त
 श्री गणेश जिंदगी सुभा तहसीलदार द्वारा
 किया गया

योजना की अग्रिम के इलाक़ों की जाँच व
 सत्यापन श्री राधेश्याम शर्मा जेन उन्नीस
 अधिकारी के द्वारा किया गया

पी.सी.सी. II (पी.सी.सी.) की अंश
 दिनांक 27/08/50 के अनुसृत में अनुसृत
 माना गया

वीएन नगर नियोजन के एक अंश
 1977/08/37 दिनांक 27/08/50 के
 माना गया की अंतर्गत